

अशासकीय पत्र सं०-1/शा०/144/2017-1/605/2017
लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2018

आवंटन
अनुदान संख्या-14
लेखाशीर्षक-2515001010300

उपनिदेशक (प०)
आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-17/2018/2561/33-3-2018-100(06)/2017 दिनांक 21.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत पंचायतीराज निदेशालय में इनोवा क्रिस्टा वाहन के क्रय हेतु धनराशि रु०-34,54,631/-अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें वाहन का मूल्य बढ़ने के कारण रु०-63,573 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए शासनादेश सं०-859/33-3-2018-100 (06)/2017 दिनांक 27.03.2018 द्वारा अनुदान संख्या-14 में निदेशालय स्तर पर शासकीय वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 63,573 (रुपया तिरसठ हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं-

- 1-क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 2-प्रश्नगत वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- 3-वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4-प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल वाहन क्रय मद में किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
- 5-वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6-पंचायतीराज विभागयह भी सुनिश्चित कर लेगा कि उक्त वाहन के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात् इसकी पुनरावृत्ति न हो।
- 7-निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017, शासनादेश सं०-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017, कार्यालय ज्ञाप सं०-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27.12.2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8-व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 9-वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण धनराशि का आहरण एक मुश्त किया जायेगा।
- 10-वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का

प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11-विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

12-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

13-निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14-इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक "2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पंचायतीराज निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामें डाला जायगा।

15-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017, शासनादेश सं०-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017, कार्यालय ज्ञाप सं०-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27.12.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आवंटन निदेशालय के बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं०-102 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या:1/शा०/144/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/ऑडिट-2 इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।

3- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।

6- एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-28/03/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-144-2017-1-605-2017

आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-605-2017

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - पंचायती राज निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		14-मोटर गाड़ियों का क्रय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	63573 3518204	63573 3518204
	योग	वर्तमान प्रगामी	63573 3518204	63573 3518204

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया तिरैसठ हजार पाँच सौ तिहत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया पैंतीस लाख अठारह हजार दो सौ चार


(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी